मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ 9869 /2015 भोपाल, दिनांक 31/10/2015

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

  महात्मा गांधी नरेगा

  जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः– भारत सरकार की इंदिरा आवास निर्माण में मनरेगा से अकुशल श्रम (अतिरिक्त लाभ) के भुगतान संबंधी दिशा–निर्देश।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र. L-15060/6/2013/RE.VII दिनांक 03.07.2014 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/9019/ MGNREGS-MP/NR-3/2015 भोपाल, दिनांक 23.09.2015।

महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत केन्द्र सरकार से इंदिरा आवास निर्माण के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित पत्र के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

इंदिरा आवास योजना होम स्टेट, एफ.आर.ए. मुख्यमंत्री अन्तोदय आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में जो भी मकान निर्माणाधीन है, उनमें मनरेगा से सामान्य जिलों में 90 दिन तथा आईएपी जिलों में 95 दिन की मजदूरी अतिरिक्त दी जा सकती है। इस हेतु भारत शासन द्वारा जून 2014 (30.06.2014) में दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवास सॉफ्ट में जॉब कार्ड नम्बर दर्ज करेंगे। मनरेगा के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना की लेबर की यूनिक आईडी दर्ज करके 90 दिन तक के लिये एवं 95 दिन तक की मजदूरी आईएपी जिलों में निकालेंगे। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत राशि रू. 12,000 के शौचालय का भी निर्माण किया जायेगा। अतः सामान्य क्षेत्र में 70,000+90 तक दिन की मजदूरी + 12000 शौचालय के लिये तथा आईएपी क्षेत्र में 75,000+95 दिन तक की मजदूरी + 12,000 शौचालय के निर्माण किये जाये। शौचालय उन्हीं को मिलेंगे जिन्होने पूर्व में शौचालय पाने की प्रोत्साहन राशि प्राप्त न की हो। यदि कोई इस तरह के हितग्राही है जिन्हें पात्रता नहीं है इस संबंध में राज्य कार्यक्रम अधिकारी (स्वच्छ भारत मिशन) से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 31/10/15

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र.क्रमांक / 9870 / 2015

भोपाल, दिनांक 31/10 / 2015

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, ग्रामीण रोजगार विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. आर.के. गोंटिया, मुख्य महाप्रबंधक, मुख्यमंत्री आवास मिशन, पर्यावास भवन, भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृप्या अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

31/10/15

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग